कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

बैंक कर्मी बनकर खाता नम्बर व एटीएम कार्ड का कोड पूछकर रूपये निकालने के मामले का आरोपी को किया गिरफ्तार

जयपुर 26 अप्रेल। जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री कैलाश चन्द विश्नोई ने बताया कि एटीएम धारकों से उनके एटीएम कार्ड के नम्बरों को पूछकर उनके साथ ठगी करने की जिले में बढती वारदातों की रोकथाम के लिए चलाये गये विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ श्री सतीशकुमार जांगिड एवं वृताधिकारी वृत बयाना श्री हिमांशु शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी थाना उच्चैन श्री मुकेश कुमार उ0नि0 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

श्री कैलाश चन्द विश्नोई ने बताया कि उक्त टीम ने थाना उच्चैन के प्रकरण संख्या 93/17 जिसमें 22 अप्रेल,17 को प्रार्थी श्री चन्द्रभान पुत्र गणेश जाति मीणा निवासी जयचौली थाना उच्चैन ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि मेरे पीएनबी बैंक खाता से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे मेरे मोबाईल नम्बर पर फोन कर मेरे खाते से सम्बन्धित जानकारी मुझे दी और स्वयं पीएनबी का कर्मचारी बना उसने मुझे मेरा खाता नम्बर और एटीएम के ऊपर लिखा 16 अंको का नम्बर और मेरा नाम–पता बताया और मेरे खाते में कुछ गडबडी की बात कह कर मेरा एटीएम पिन और कुछ एसएमएस पुछे जो मेरे फोन पर आये थे यह घटना 24–03–17 की है इसके कुछ समय बाद उसने मेरे खाते से 60000 रूपये निकाल लिये। जिस पर टीम द्वारा प्रार्थी के खाता नम्बर का स्टेटमेंट प्राप्त किया जाकर अवलोकन किया गया तो प्रार्थी के खाते से कुल 59984 रूपये सेन्ट्रल बैंक के खाता नम्बर 3525967221 शाखा गुडगांव हरियाणा में उक्त पैसे जाना पाया गया।

श्री विश्नोई ने बताया कि बैंक जाकर उक्त खाते के बारे में जानकारी की गई तो उक्त खाता देवेन्द्र पुत्र मोहनचन्द्र जाति लखचौरा निवासी 31बी रजत विहार सैक्टर–62 नोऐडा जिला गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 के नाम से होना पाया गया। देवेन्द्र के निवास पर जाकर उक्त व्यक्ति के बारे में पता किया गया तो सही होना पाया गया व देवेन्द्र घर पर मौजूद मिला जिसको लाकर पूछताछ की तो पूछताछ पर बताया कि मैं 400–500 रू में फर्जी सिम खरीद लेता था और सिमो के जरिये फोन लगाकर स्वयं बैंक अधिकारी बनकर खाता धारकों से खाते के बारे में जानकारी लेकर उनसे मोबाईल पर आये ओटीपी नम्बर पूछकर खाते से ई–वोलेट में पैसे डाल लेता था। बाद में उक्त पैसे अपने खाते में डालकर एटीएम से पैसे निकाल लेता था।

उन्होंने बताया कि थानाधिकारी ने अनुसंधान के दौरान उक्त मामले में के आरोपी देवेन्द्र पुत्र मोहनचन्द्र जाति लखचौरा निवासी 31बी रजत विहार सैक्टर–62 नोऐडा जिला गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 को गिरफ्तार कर आरोपी से गहनता पूर्वक पूछताछ जारी है। जिससे और भी कई वारदातों खुलासा होने की सम्भावना है।

राही / सन्तरा / 335 / 2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

3000 रूपये का ईनामी बदमाश सहित पैट्रोल पम्प पर डकैती डालने की योजना बनाते 5 आरोपी गिरफ्तार अवैध हथियार देशी कट्टा लोडेड, चाकू व अन्य संसाधन बरामद

जयपुर 26 अप्रेल। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। उद्योग नगर क्षेत्र में हो रहे अपराधों का राजफाश करने के लिए 25 अप्रेल,2017 को श्री अनिल बेनीवाल सहायक पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) के निर्देशन में थानाधिकारी एक विशेष टीम ने रेशम फैक्ट्री में कुछ बदमाश ईक्कठे होकर अभिलाश पेट्रोल पम्प को लूटन के लिए पांच व्यक्ति पैडों कि आड में बैठ कर योजना बनाने कि सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची और आरोपी मलकीत सिंह पुत्र जीतसिंह जाति रायसिंख उम्र 27 साल निवासी शेसन थाना जुरहेरा जिला भरतपूर। जिसकी पेन्ट की दाहिनी आंट मे एक कट्टा देसी 315 बोर लोडेड मिला, प्रेम चन्द पुत्र गूटारी जाति मीणा उम्र 32 साल निवासी खुडीयाना थाना कठूमर जिला अलवर। जिसकी दाई जैब मे एक पोलिथिन में लाल मिर्ची मिली, राजू पुत्र सोहरन जाति बावरीया उम्र 32 साल निवासी रूद ईकरन थाना चिकसाना। जिसकी दाहिनी आंट मे एक चाकू मिला। कलूआ उर्फ सुभाष पुत्र मौहरी जाति बावरीया उम्र 45 साल निवासी चन्दनपुरा थाना रूपबास। जिसके दाहीने हाथ में एक लोहे का शरीया मिला तथा रोहिताश उर्फ तोताराम पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति बावरीया उम्र 39 साल निवासी रामनगर थाना तिजारा जिला अलवर। जिसके बाये हाथ में एक डण्डा व दाहीने हाथ में एक टॉर्च मिली। पॉचों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों से अवैध हथियार कट्टा लोडेड, चाकू व अन्य संसाधन बरामद किये। आरोपी मलकीत सिंह थाना नौगांवा का 3000 रुपये का ईनामी बदमाश है। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अन्य वारदाते खुलने की सम्भावना है।

राही/सन्तरा/336/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।